न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :मोहनलालगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202310460330399
वाद संख्या:- 30399/2023
रायल ओशियन इण्डिया इन्फ्टेक प्रा०लि ० बनाम किशोर
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 16/12/2023

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल की हस्तान्तरण रिपोर्ट दि0 07-11-2023 अन्तर्गत धारा 34 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के आधार पर प्रस्तुत होकर दर्ज मिसिलबन्द हुआ। जनहित में प्रसूचना प्रसारित की गई, जो बाद तामील शामिल पत्रावली है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वादी ने अपने समर्थन में समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य पूर्ण कराये जिससे विक्रयपत्र की पुष्टि होती है। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान के अनुसार विक्रीत भूमि ग्राम समाज सीलिंग भूदान पट्टे की नही है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है। न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर ट्रान्स गोमती लखनऊ, किशोर बनाम सरकार वाद सं0 डी202310460003828 आदेश दि0 10-10-2023, को भूमि विक्रय अनुमति प्राप्त है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस प्रकार उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः आदेश हुआ कि:-

आदेश

ग्राम सिठौली कला परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 फ0 के खाता सं0 412 की गाटा सं0 83/0.1980 हे0 का 1/2 भाग रकबा 0.099 हे0 विक्रीत रकबा 0.099 हे0 विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मालगुजारी बमौजिब 60ख विक्रेता किशोर पुत्र खरभान निवासी सिपाह तहसील बूढनपुर जिला आजमगढ का नाम निरस्त करके उनके स्थान पर क्रेता रायल ओशियन इण्डिया इन्फ्राटेक प्रा0लि0 द्वारा निदेशक राजमणि यादव पुत्र रामजश यादव उर्फ रामयस यादव निवासी सी-1/133 विक्रान्त खण्ड-1 गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 27-10-2023 अंकित हो। पत्रावली बाद अमल दरामद दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार
मोहनलालगंज,लखनऊ

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"